

समाहरणालय, मधेपुरा

(स्थापना शाखा)

-: आदेश :-

अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-189, दिनांक-04.03.15 से प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में संविदा के आधार पर कार्यपालक सहायक के पद पर नियोजन हेतु अद्यतन आरक्षण के प्रावधान के अनुरूप 259(दो सौ उनसठ) अभ्यर्थियों का पैनल निर्मित है, जिसमें से पूर्व में मेधा क्रम सं० एवं अद्यतन आरक्षण के प्रावधान के अनुरूप इस जिलान्तर्गत विभिन्न कार्यालयों को उनके अधियाचना के आलोक में कार्यपालक सहायक उपलब्ध कराया जा चुका है। पैनल में शेष बचे अभ्यर्थियों में से बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत प्रखण्ड कार्यालय, घैलाढ़ के आर०टी०पी०एस० कॉन्ट्रर पर एक कार्यपालक सहायक तथा कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, मधेपुरा के पत्रांक-1263, दिनांक-16.10.2017 से एक कार्यपालक सहायक के प्राप्त अधियाचना के आलोक में जिले में निर्मित कार्यपालक सहायक के पैनल से निम्न प्रकार कार्यपालक सहायक उपलब्ध कराया जाता है :-

क्रम सं०	पैनल मेधा क्रमांक	रौल नं०	पैनल के चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/ पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	पैनल कोटि	आवंटित विभाग/कार्यालय
01	159	MDE001705	श्री रोहित कुमार	पे०-श्री रामोतार प्रसाद गुप्ता, सा०-पुरानी बाजार, वार्ड नं०-10, पो०+थाना+जिला-मधेपुरा	02.04.1996	BC	कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल कार्यालय, मधेपुरा
02	160	MDE000070	श्री अकलेश ठाकुर	पे०-श्री नन्दलाल ठाकुर, ग्राम+पो०-बालम, भाया-मिठाई, जिला-मधेपुरा	22.04.1991	EBC	जिला स्थापना शाखा, मधेपुरा

नियोजन पत्र संबंधित कार्यालय द्वारा निर्गत किया जाएगा, जिसमें संविदा पर नियोजन हेतु सेवा संबंधी सभी शर्तों का उल्लेख संबंधित कार्यपालक सहायक के नियोजन पत्र पर अंकित किया जाए। संविदा पर कार्यपालक सहायक का नियोजन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना के विज्ञापन के अनुरूप कार्यपालक सहायक के पद पर नियोजन किया जाए।

नियोजन के लिए शर्तें:-

1. नियोजन ईकाई अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र यथा- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र/ ओ०बी०सी (यदि लागू हो), आवासीय प्रमाण पत्र इत्यादि की सत्यता की जाँचकर स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात ही नियोजन पत्र निर्गत करेंगे।
2. नियोजन बिल्कुल ही अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये कभी भी समाप्त की जा सकती है।
3. नियोजन होने पर इनकी कार्यवधि अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए होगी एवं आवश्यकतानुसार तथा सेवा संतुष्टि के आधार पर विभागीय नियमानुसार इसे बढ़ायी जा सकेगी।
4. इनका मानदेय अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, बिहार पटना के पत्रांक-बि०प्र०सु० मि०सो०/योजना-०२/२०१२(खण्ड)१६३/ DSC ,दिनांक-०१.०९.२०१५ से प्राप्त निदेश के आलोक में मानदेय ११३४५/- (ग्यारह हजार तीन सौ पैंतालिस) रुपये प्रति माह देय होगा तथा सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
5. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा तत्क्षण समाप्त किया जा सकता है।
6. योगदान के लिये किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं है।

7. योगदान के समय अभ्यर्थी को निम्न हार्डवेयर होना अनिवार्य होगा अन्यथा योगदान नहीं किया जा सकेगा :-
 - (1) एक डेस्क टॉप
 - (2) एक प्रिंटर (ब्लैक एण्ड व्हाइट)
 - (3) एक यू0पी0एस0
 - (4) इन्टरनेट कनेक्शन हेतु डायल कार्ड।
8. कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिये अलग से कोई राशि देय नहीं होगी, इसमें लगने वाला पेपर, कार्टेज आदि की आपूर्ति संबंधित कार्यालय द्वारा की जाएगी।
9. इन्टरनेट कनेक्शन का बिल नियोजित अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।
10. नियोजन के समय अभ्यर्थी को सिविल सर्जन से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति समर्पित करना होगा।
11. नियोजन के समय अभ्यर्थी को विहित प्रपत्र में एकरारनामा समर्पित करना होगा।
इसकी सूचना सभी संबंधित को दी जाय।

६९-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक ५३९-२/स्था0,

मधेपुरा, दिनांक- 04.12. 2017

- प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- आई0टी0मैनेजर, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को जिले के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित
प्रतिलिपि :- अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा

4/12/17